पांच साल से फरार 5 हजार के इनामी तस्कर को किया गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। एनडीपीएस एक्ट में पांच साल से फरार चल रहे 5 हजार के इनामी तस्कर को भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश से डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि लम्बे समय से फरार चल रहे वांछित इनामी आरोपियों की तलाश के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

शहर एसपी ने बताया कि भीमगंजमंडी थाने में वर्ष 2021 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी गोपाल तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, फरार आरोपी पर वर्ष 2023 में 5 हजार के इनाम राशि घोषित की गई।

शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम के सदस्य कांस्टेबल तंवर सिंह को आरोपी के बारे में मुखबीर से सूचना मिली, कांस्टेबल तंवर सिंह के इनपुट पर टीम ने कार्यवाही करते हुए पांच साल से फरार चल रहे 5 हजार के ईनामी आरोपी मध्यप्रदेश के जिला आगर थाना सुसनेर आकली निवासी गोपाल तिवारी को मध्यप्रदेश से डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया।

शहर एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी इतना शातिर था कि गिरफ्तारी से बचने के लिये पहचान छिपाता हुआ छिपने के ठिकाने बदलता रहा और कई सालों तक अपने गांव आना-जाना भी बंद कर दिया था। जिसे पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

हिंदू नवसंवत्सर स्वागत में मंदिरों एवं देवस्थानों पर महाआरतियों का होगा एक साथ भव्य आयोजन

कोटा, (निसं)। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति, कोटा महानगर के आव्हान पर हिंदू नववर्ष 2083 की पूर्व संध्या 18 मार्च, बुधवार को कोटा महानगर की 120 से अधिक बस्तियों में स्थित मंदिरों एवं देवस्थानों पर महाआरतियों का एक साथ भव्य आयोजन हिंदू समाज द्वारा किया जाएगा। कोटा के इतिहास में यह आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस अद्भुत आयोजन के क्रम में महानगर में 12 नगरों की आयोजन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मंदिर समितियों से प्रारंभ हो गया है।

कोटा में हिंदू नवसंवत्सर की पूर्व संध्या पर 120 बस्तियों में महाआरती के आयोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई है।

महानगर अध्यक्ष गोविंद नारायण अग्रवाल ने बताया कि कोटा महानगर की 120 से अधिक बस्तियों में हिंदू नववर्ष 2083 की पूर्व संध्या पर महाआरतियों का भव्य आयोजन होगा, जिसमें हिंदूजन अपने-अपने क्षेत्र में महाआरती करेंगे। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में हिंदूजन स्वत: और स्वप्रेरणा से जुड़ेंगे। सभी महाआरतियों में हिंदू समाज के बंधु अपने-अपने घरों से दीपकों की थाल सजाकर मंदिरों में पहुंचेंगे और महाआरती के आयोजन को सफल बनाएंगे। महामंत्री डॉ. बाबूलाल भाट ने बताया कि इस पुण्य अवसर पर स्थानीय बाजारों में विशेष साज-सज्जा करने का भी आग्रह सामाजिक संस्थाओं एवं व्यापारिक संगठनों से किया गया है। वहीं 19 मार्च को नववर्ष के अवसर पर सूर्य भगवान के स्वागत के साथ एक-दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देकर हमें अपने नववर्ष को गरिमामय स्वरूप में मनाना चाहिए।

महानगर समिति के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि अपने हिंदू नववर्ष को हम सभी को मिलकर पूरे उत्साह और उल्लास से गरिमापूर्वक मनाना है। यह हमारे स्व का बोध और सांस्कृतिक उन्नति का पुण्यपर्व है। इसी क्रम में महानगर के 12 नगरों की नगर स्तरीय समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकें कर ली हैं। इनमें गणेश नगर मंडल के संयोजक दिलीप सिंह और सहसंयोजक मुकेश जोशी, विवेकानंद नगर के संयोजक चंद्रप्रकाश नागर और सहसंयोजक महावीर नागर, चाणक्य नगर के संयोजक लहरीशंकर गौतम और सहसंयोजक देबू राही, विश्वकर्मा नगर के संयोजक अश्वनी और सहसंयोजक महेंद्र पाल, प्रताप नगर के संयोजक विकास पचवारिया और सहसंयोजक अनिल माहेश्वरी, दीनदयाल नगर के संयोजक युधिष्ठिर खटाना और सहसंयोजक संदीप भाटिया, सूरज नगर के संयोजक ओमप्रकाश कश्यप और सहसंयोजक भूपेंद्र भाया, अंबेडकर नगर के संयोजक महावीर सुवालका और सहसंयोजक ब्रजमोहन राठौर, शिवाजी नगर के संयोजक बृजेश शर्मा और सहसंयोजक योगेंद्र बत्रा, संभाजी नगर के संयोजक शिवराज गौड़ और सहसंयोजक महेंद्र निर्भय, तानाजी नगर के संयोजक देवेंद्र त्रिपाठी और सहसंयोजक दिनेश नागर, तथा गायत्री नगर के संयोजक देवराज वर्मा और सहसंयोजक रामस्वरूप शर्मा के नेतृत्व में बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं।

विराट भगवा रैली 21 मार्च को:- हिंदू नववर्ष के पंचदिवसीय कार्यक्रमों का समापन 21 मार्च को आयोजित होने वाली विशाल भगवा वाहन रैली से होगा। इसके महानगर संयोजक युधिष्ठिर सिंह हाड़ा तथा सहसंयोजक मुकुट नागर, लव शर्मा, विजय सिंह, विकास शर्मा, योगेश रेनवाल, सुमेर सिंह, राकेश मिश्रा, सत्यप्रकाश शर्मा बालिता, पवन सिंह, रौनक आनंद और रामचरण लोधा ने संपर्क अभियान में भाग लिया।

इसी प्रकार प्रशिद्ध भजन गायिका गीता रैबारी की भव्य भजन संध्या 20 मार्च के संयोजक पंकज मेहता तथा सहसंयोजक किशन पाठक और राजेंद्र खंडेलवाल, स्वदेशी मेला 19 व 20 मार्च के संयोजक प्रमोद राठौर तथा सहसंयोजक नारायण हेड़ा, सुनीता जोली, नितिन अग्रवाल और मुकेश विजय, तथा महिला संयोजक रेणु मिश्रा और सहसंयोजक चेतना मोरवाल आदि ने भी अपनी-अपनी समितियों की बैठकें आयोजित की।

मातृशक्ति दोपहिया वाहन रैली 17 मार्च की तैयारियां युद्धस्तर पर:- महानगर समिति की मातृशक्ति एवं वाहन रैली संयोजिका रेणु मिश्रा तथा सहसंयोजिकाएं चेतना मोरवाल, रीना शुक्ला, श्वेता जैन, सोनम पुरोहित, सोनम गोयल, नीलप्रभा नाहर, वंदना मित्तल, गिरिजा सुमन, शशि मित्तल, स्वीटी शर्मा और रमा शर्मा की अगुवाई में कोटा महानगर के 12 नगरों की संयोजिकाओं एवं सहसंयोजिकाओं द्वारा लगातार संपर्क अभियान और बैठकें की जा रही हैं।

नगर स्तर पर सूचीकृत करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गणेश नगर में संयोजिका अर्चना गुर्जर और सहसंयोजिका सोनू सिंह, विवेकानंद नगर में प्रीति वैष्णव और मंजू निर्वाण, चाणक्य नगर में मीरा शर्मा और हंसा शर्मा, प्रताप नगर में पल्लवी न्याती, सौम्या सिंघल और उजला गोस्वामी, विश्वकर्मा नगर में सरिता सोलंकी और रेखा खेलवाल, दीनदयाल नगर में प्रतिभा द्विवेदी और कविता रिझवानी, सूरज नगर में कविता शर्मा और ज्योति, अंबेडकर नगर में मधु भास्कर और ज्योति शर्मा, शिवाजी नगर में रामप्यारी और सोनिया कुंवर, संभाजी नगर में वंदना शर्मा और अंजू शर्मा, तानाजी नगर में सपना त्रिपाठी और सीमा शर्मा, तथा गायत्री नगर में करुणा शर्मा और शिखा गौतम को जिम्मेदारियां दी गई हैं।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यनारायण श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष आनंदस्वरूप राठी, महेश गुप्ता, विवेक राजवंशी, कुलदीप माथुर, संदीप पहाड़िया, प्रेम भाटिया, क्रांति जैन, गणपत लाल शर्मा, संदीप चाँदीवाला, श्रीनाथ मित्तल, मोतीलाल मीणा, रवि विजय, संजय शर्मा, नेता खंडेलवाल, कुंजबिहारी गौतम, हेमंत विजय, राजाराम कर्मयोगी, डा. बी एल गोचर, गजेंद्र भार्गव, सत्यनारायण शर्मा पुरोहित, अरविन्द गोयल, सुनीता व्यास मंत्री केपी सिंह, जितेंद्र गोयल, वीरेंद्र शर्मा, ललित शर्मा, लोकेंद्र सिंह राजावत होंगे। कोषाध्यक्ष रामकुमार मेहता, सह कोषाध्यक्ष महेश विजय, जगदीश जिंदल, बी एल पचेरवाल को पंचदिवसीय कार्यक्रमों को सफल बनाये जाने हेतु विशेष संपर्क और व्यवस्था निर्माण की जिम्मेदारियां दी गई है। इसी क्रम में मीडिया समिति के संयोजक अरविंद सिसोदिया, सहसंयोजक सुनील पोकरा, रजनीश सिंह राणा, पवन भटनागर, हुकूमत सिंह झाला, पवन पारीक और अल्पेश शर्मा को भी जिम्मेदारियां दी गई है।

नारकोटिक्स टीम ने अवैध मादक पदार्थ जब्त कर तीन आरोपी पकड़े

कोटा, (निसं)। मादक पदार्थ विरोधी अभियान को जारी रखते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने दो अलग-अलग कार्यवाही में अवैध मादक को जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त दोनों कार्यवाही केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई।

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि दो लोग कार से किशनगढ़-जयपुर हाईवे डूडू और किशनगढ़ के बीच अवैध मादक पदार्थ प्रतिबंधित एमडी मेफेडोन ले जा रहे है, जिन्हे मोटरसाईकिल पर तीसरा व्यक्ति एस्कॉर्ट कर रहा है।

उक्त सूचना पर सीबीएन जयपुर के अधिकारियो की टीम गठित की गई और टीम को मौके पर रवाना किया गया। गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी निगरानी के बाद किशनगढ़-जयपुर हाईवे पर बंदर सिंदरी गांव के पास दोनों वाहनों को रोका और कार की तलाशी ली गई तो कार की एक सीट के नीचे छिपाकर रखे गये अवैध मादक पदार्थ के दो पैकेट में 1.017 किलोग्राम प्रतिबंधित एमडी मेफेडोन बरामद हुआ। टीम ने मौके पर कानूनी औपचारिकता पूरी कर अवैध मादक पदार्थ व दोनों वाहन को जप्त किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले में आगे की जांच प्रकिया जारी है।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि वही दूसरी ओर मुखबीर से सूचना मिली कि किसी ने जिला भीलवाड़ा के तहसील सहारा गांव कंगनी गंगापुर में गेंहु की खेतों की आड़ में गैर-कानूनी तरीके से अफीम के पौधे उगाए हैं। उक्त सूचना पर सीबीएन भीलवाड़ा के अधिकारियों की टीम गठित की गई और टीम को मौके पर भेजा गया।

गठित टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो गेहूं के खेतों की आड़ में गैर-कानूनी तरीके से उगाए गये अफीम के पौधे पाए।

टीम ने मौके पर कानूनी औपचारिकता पूरी कर गैर-कानूनी अफीम के पौधे जब्त किये, मामले में आगे की जांच प्रकिया जारी है।

खोया पाया

नीपेंद्र सिंह चौहान पुत्र विजय सिंह चौहान 3-G-23 महावीर नगर तृतीय कोटा का मूल आवंटन पत्र गुम हो गया है, किसी को मिलने पर सूचित करें

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक : नपबां/तामरी शाखा/2026/12330 दिनांक : 11.03.2026

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धनराज सहरिया पुत्र श्री रामस्वरुप सहरिया निवासी बारां का आवेदन नाम हस्तान्तरण चाहने वास्ते प्राप्त हुआ है। जिसमें पट्टा संख्या 1793 दिनांक 01.07.2019 भूखण्ड संख्या 03 माप 2700 वर्गफीट, वाके जनकपुरी का श्री बृजमोहन मेहता पुत्र श्री हरिकिशन मेहता के नाम जारी किया गया। जिसमे पट्टाधारक द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 05.12.2024 से उक्त भूखण्ड को श्रीमति सुनिता गर्ग पत्नी श्री मनोज गर्ग को बेचान कर दिया। एवं श्रीमति सुनिता गर्ग पत्नी श्री मनोज गर्ग द्वारा जयें रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.02.2026 से उक्त भूखण्ड को श्री धनराज सहरिया पुत्र श्री रामस्वरुप सहरिया को बेचान कर दिया। आवेदक ने इसी आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण अपने नाम चाहती है। उक्त सम्पत्ति के संबंध में अन्य किसी को आपत्ति हो तो अन्तर 7 दिवस में आपत्ति मय दस्तावेजो के साथ कार्यालय हजा में प्रस्तुत करे। बाद अवधि गुजर जाने पश्चात आपत्ति मान्य नही होगी।

कोटा विकास प्राधिकरण के अकाउंट सीज के आदेश, मोहलत पर खुला

कोटा, (निसं)। कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने कोटा विकास प्राधिकरण के अकाउंट को सीज करने का आदेश दिया है। कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर मोहलत मांगी जिस पर कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है।

मामले को लेकर परिवादी के वकील अशोक बादल ने बताया कि 7 साल पहले परिवादी ने नीलामी के जरिए केडीए (तत्कालीन यूआईटी) से 65 लाख कीमत का भूखंड खरीदा था। केडीए ने न तो भूखंड की रजिस्ट्री करवाई और न ही परिवादी को पैसे वापस लौटाए। परेशान होकर परिवादी ने कंज्यूमर कोर्ट की शरण ली। परिवादी नरेंद्र गर्ग ने मई 2019 में तत्कालीन यूआईटी से श्रीनाथपुरम इलाके में भूखंडों की नीलामी में 65 लाख में 25 बाई 50 का कॉर्नर भूखंड खरीदा था। तय समय सीमा में पैसे जमा करवा दिए थे। जब उन्होंने भूखंड की रजिस्ट्री के लिए विभाग में आवेदन किया तो रजिस्ट्री नहीं करवाई गई।

इसके विपरीत एक लेटर भेजा गया इसमें भूखंड के पास 150 फीट खाली जमीन के पेटे साढ़े 8 लाख और जमा कराने को कहा गया। तत्कालीन यूआईटी ने न तो खरीदे गए भूखंड की रजिस्ट्री करवाई और न ही पैसा लौटाया।

साल 2021 में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में परिवाद पेश किया जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अगस्त 2025 में कोर्ट ने 2 महीने में भूखंड की रजिस्ट्री कराने या 9 प्रतिशत ब्याज से पैसे वापस करने का आदेश दिया।

60 दिन बीत जाने के बाद भी केडीए ने न तो पैसे लौटाए और न ही भूखंड की रजिस्ट्री करवाई। इसके बाद फिर से कंज्यूमर कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर कोर्ट ने 16 फरवरी को फैसला सुनाते हुए बैंक को केडीए के अकाउंट को सीज करने के आदेश दिए। कोर्ट का आदेश लेकर वह सोमवार को बैंक गए थे। आदेश के तहत बैंक को केडीए का अकाउंट सीज कर 6 अप्रैल तक कोर्ट को सूचना देनी है।

परिवादी के वकील अशोक बादल ने बताया कि कोर्ट द्वारा अकाउंट सीज करने के आदेश के बाद केडीए के अधिकारी कोर्ट पहुंचे। सचिव मुकेश चौधरी ने धारा 72 उपभोक्ता अधिनियम के तहत शपथ पत्र पेश किया है और मोहलत मांगी है। सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस पर कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है। अकाउंट चालू हो गया है। न्यायालय के निर्देशानुसार आदेश की पालना की जाएगी।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/श.स.स.शि.-2025/2025-26/795 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 25.02.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा चलाये गये शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 फोलोअप शिविर अन्तर्गत नगर पालिका रावतभाटा क्षेत्र के निम्न आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन शिविर अवधि के अन्तर्गत अपने भूमि/भवन का धारा 69-ए के तहत पट्टा बनवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाकर आवेदन की मूल पत्रावली भौतिक रूप से शिविर अवधि के पश्चात् इस कार्यालय में प्रस्तुत की है। जिसमें प्रस्तुत दस्तावेजो अथवा मौके की जॉच पश्चात् निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

.क्र.सं	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	आवेदित भूखण्ड का पता	आवेदन अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल
.1	श्री दिपक मिश्रा पिता श्री राजन मिश्रा	मैन रोड चेतक मार्केट, सेन्ट्रल बैंक के पास रावतभाटा	189.60 वर्गमीटर

.अतः उक्त आवेदित प्रकरण में किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई आपत्ति अथवा उजरदारी हो तो वह अपनी आपत्ति व उजरदारी इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर लिखित में मय साक्ष्य दस्तावेज के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति व उजरदारी मान्य नहीं होगी। **अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा**

सार-समाचार

शीतला अष्टमी पर हुआ निधन, पुत्रों ने संपन्न कराया नेत्रदान

कोटा, (निसं)। देर रात एक बजे तिलक चौक बूंदी निवासी स्व.० मदनलाल जैन एडवोकेट की धर्मपत्नी खानी बाई जैन का आकस्मिक निधन हुआ। धर्म कर्म में आस्था रखने वाली खानी बाई नेत्रदान की प्रबल समर्थक थी। पोते डॉ. मोहित जैन को भी उन्होंने अपने नेत्रदान करवाने की सहमति दे रखी थी। देर रात 1 बजे जब यह दुखद घटना घटी तो उन्होंने तुरंत ही संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र इदरीस बोहरा को सूचना कर दादी मां के नेत्रदान करवाने के लिए कहा। इदरीस की सूचना पर कोटा से ईबीएसआर-बीबी चैप्टर के कोऑर्डिनेटर डॉ कुलवंत गौड़ नेत्र संकलन वाहिनी ज्योति रथ स्वयं चलाकर 40 किलोमीटर दूर बूंदी पहुंचे और देर रात 2 बजे परिवार के सभी सदस्यों के बीच नेत्रदान का कार्य संपन्न किया। सूचना के दौरान डॉ गौड़, अपनी साली गौरक्षा दाधीच की शादी समारोह में मौजूद थे वहीं से सीधा नेत्रदान लेने बूंदी पहुंचे। नेत्रदान के इस पुनीत कार्य में खानी बाई के बेटे जैनेन्द्र, ओमप्रकाश, कमल कुमार, राजकुमार का पूरा सहयोग रहा। नेत्रदान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डॉ गौड़ में बताया कि गर्मियों के दिनों में अब जरूरी सावधानी यह रखना है कि आँखों को पूरी तरह बंद कर उन पर रखने वाले गीले रुमाल को हर आधे घंटे में बदलते रहे।

कोटा-रामगंजमंडी-भवानीमंडी खंड में सघन टिकट जांच अभियान चलाया

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में यात्रियों को बिना टिकट यात्रा तथा अवैध गतिविधियों से रोकने के उद्देश्य से कोटा-रामगंजमंडी-भवानीमंडी खंड में सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेनों के साथ-साथ रामगंजमंडी एवं भवानीमंडी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर भी व्यापक जांच की गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि अभियान के दौरान टिकट जांच दल द्वारा कुल 117 मामलों में कार्रवाई करते हुए 34,820 रुपये का अतिरिक्त किराया एवं जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्रवाई में लक्ष्मीकांत मीना, मुख्य टिकट निरीक्षक; दीपक शर्मा, उप मुख्य टिकट निरीक्षक, हेमेंद्र मीना, मुख्य वाणिज्य टिकट परीक्षक, उमेश कुमार तथा ऋषभ कुमार, मुख्य वाणिज्य टिकट परीक्षक शामिल रहे। अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा अवैध वेंडरों की भी जांच की गई। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा रेलवे नियमों का पालन करें। बिना टिकट यात्रा करने पर नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई की जा सकती है।

अजमेर-सांतरागाछी विशेष ट्रेन का मार्ग परिवर्तन

कोटा, (निसं)। रांची जंक्शन-लोहरदगा-तोरी रेलखंड में पुल संख्या 115 पर तकनीकी कार्य के कारण कोटा मंडल होकर संचालित अजमेर-सांतरागाछी विशेष ट्रेन को निर्धारित मार्ग के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग से संचालित किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 08612 अजमेर-सांतरागाछी विशेष 12 मार्च एवं 19 मार्च को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग तोरी-बरकाकाना जंक्शन-रामगढ़ कैंट-मुरी जंक्शन होकर संचालित की जाएगी। गाड़ी संख्या 08611 सांतरागाछी-अजमेर विशेष 9 मार्च एवं 16 मार्च को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मुरी जंक्शन-रामगढ़ कैंट-बरकाकाना जंक्शन-तोरी होकर संचालित की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अपनी गाड़ी की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।

के.डी.ए. में जनसुनवाई आज

कोटा, (निसं)। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु 12 मार्च गुरुवार को नियमित जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। यह जन सुनवाई प्राधिकरण के मंथन सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित होगी। प्राधिकरण द्वारा प्रतिमाह दूसरे एवं चौथे गुरुवार को नियमित जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत भूमि आवंटन, नामांतरण, नगरीय कर, भवन निर्माण स्वीकृति, मूलभूत सुविधाओं, अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं को सुना जाता है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है। प्राधिकरण द्वारा समस्त आमजन से अनुरोध किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें, ताकि उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जल महोत्सव के तहत मिस्त्री सम्मानित

रामगंजमंडी, (निसं)। शहर में प्लम्बर डे के अवसर पर 11 मार्च बुधवार को जल महोत्सव के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ग्रामीण उपखंड रामगंजमंडी द्वारा हैंडपम्प मिस्त्री को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपम्पों के रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य में उत्कृष्ट सेवा देने पर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सहायक अभियंता बलभद्र शर्मा, कनिष्ठ अभियंता रक्षा पटेल, ओम प्रकाश मीना, तकनीकी स्टाफ व मंत्रालयिक स्टाफ उपस्थित रहे।

नदी में डूबने से किशोर की मौत

छबड़ा (निसं)। गुगोर गांव स्थित पार्वती नदी में नहाने के दौरान एक किशोर की गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। उक्त हृदयविदारक घटना से परिवार सदमे में है।

जानकारी अनुसार श्रीराम कॉलोनी निवासी लक्की साहू (15) पुत्र जगदीश अपने दोस्तों के साथ पार्वती नदी में नहाने गया था कि वह मन्दिर के सामने गहरे पानी मे चला गया। सूचना पर मोके पर पहुंचे स्थानीय तैराक निरंजन खारोल ने काफी मशक्कत के बाद डूबे किशोर को बाहर निकाला। जिसे तत्काल छबडा चिकित्सालय में लेकर आए, यहां चिकित्सको ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया।

बैठक में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा

छबड़ा (निसं)। बापचा मंडल की आयोजित हुई बैठक में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आड़े हाथों लिया। बापचा मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह यादव के अनुसार बैठक में कांग्रेसियों ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्रपूर्वक नरेगा का नाम बदल दिया है। भाजपा सरकार गरीबों का रोजगार छीन रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पूर्ण रुप से विरोध करती है। कहा कि भाजपा आखिर निकाय व पंचायत चुनाव कराने से क्यो डर रही है। उसे पता है कि अब जनता त्रस्त हो चुकी है। जिसने अब भाजपा को जड़ से उखाड फैंकने का संकल्प ले लिया है। वृद्धजनों की पेंशन अटकी हुई है, नरेगा श्रमिकों को लंबे अरसे से भुगतान नहीं मिला है, युवाओं को रोजगार की दरकार है, भाजपा की हर योजना विफल साबित हुई है। भाजपा ने सिर्फ झूठी वाही वाही लूटने का काम किया है। बैठक को छीपाबडौद पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष परमानन्द मीणा, सौभागमल, रिंकू सेन सेवादल अध्यक्ष छीपाबडौद, नरेन्द्र गुर्जर, रामनरेश मीणा, निलेश नागर, गिरराज धाकड यूथ कॉग्रेस विधानसभा, दीपक त्यागी प्रभारी, प्रेमसिंह चौधरी , गौरीशंकर नागर, मानसिंह गुर्जर ने संबोधित किया। यहां रवि लोधा, रामपाल, विष्णु, राजू, बहादुर, रमेश, दीपक मेहता, पूरणसिंह, केदार लोधा, मुकेश साहू, मुकेश लोधा, पिट्ठू यादव सौरभ, मेघराज, बंटी यादव आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

परीक्षा केंद्र में परिवर्तन

छबड़ा (निसं)। अमरचंद राजकुमारी बरड़िया जैन स्नात्तकोत्तर कॉलेज में प्रथम सेमेस्टर की शुक्रवार को होने वाली तृतीय पारी की परीक्षा में कुछ छात्रों के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया गया है। केंद्राधीक्षक डॉ. आरसी मीणा के अनुसार शुक्रवार को तृतीय पारी 3 बजे 6 बजे तक होने वाली राजनीति विज्ञान की परीक्षा के कुछ छात्रों के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया गया है। रोल नंबर 354575 से 356911 तथा रोल नंबर 25137104 से 26137936 तक के छात्रों का परीक्षा केंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेगा। जिन छात्र-छात्राओं के परीक्षा केंद्र में परिवर्तन किया गया है व छात्र निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 87/2026

श्री आनन्द स्वरूप राठी पुत्र श्री शिवरतन राठी, बी-213, तलवंडी, कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास सुरभि पब्लिक स्कूल संचालन समिति, महावीर नगर, कोटा, 42, लार्ज स्केल इण्डस्ट्रीयल एरिया, डकनिया तालाब स्टेशन के पीछे, कोटा के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित, किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 14.05.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

कार्यालय वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक, रीको, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रूंगटा उद्योग जरिये प्रोपराईटर श्री संदीप रूंगटा भूखण्ड संख्या जे-387 (एच), इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा द्वारा उक्त भूखण्ड के लीजहोल्ड राईट्स श्री संजय रूगंटा के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसके समर्थन में उपहारकर्ता श्री संदीप रूंगटा द्वारा उपहारग्रहीता श्री संजय रूगंटा के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) दिनांक 28.01.2026 पेश किया गया है। उल्लेखनीय है कि भूखण्ड संख्या जे-387 (एच), इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा का आवंटन दिनांक 30.11.1994 को मैसर्स दीपिका गारमेंट्स प्रो० श्रीमति दीपिका चौहान के पक्ष में किया गया था जिसकी लीजडीड का निष्पादन दिनांक 25.07.1995 को किया गया। इसके उपरांत रीको कार्यालय आदेश दिनांक 13.10.1997 के द्वारा उक्त भूखण्ड का संविधान प्रोपराईटरशिप फर्म से भागीदारी फर्म में परिवर्तित किया गया तथा फर्म में श्रीमति दीपिका चौहान के साथ श्री संदीप रूंगटा को भागीदारी फर्म मैसर्स रूगंटा उद्योग में सम्मिलित किया गया तथा उक्त के सम्बध में रीवाईज्ड लीज एग्रीमेंट दिनांक 18.10.1997 निष्पादित किया गया। इसके पश्चात् उक्त भागीदारी फर्म से भागीदार श्रीमति दीपिका चौहान के रिटायर होने के कारण, रीको कार्यालय आदेश दिनांक 31.03.1998 के द्वारा उक्त भूखण्ड का संविधान भागीदारी फर्म से प्रोपराईटरशिप फर्म जरिये प्रोपराईटर श्री संदीप रूंगटा के पक्ष में परिवर्तित किया गया तथा उक्त के सम्बध में रीवाईज्ड लीज एग्रीमेंट दिनांक 10.04.1998 निष्पादित किया गया। इसके अतिरिक्त भूखण्ड के आवंटी श्री संदीप रूगंटा द्वारा अवगत कराया गया है की भूखण्ड की मूल रीवाईज्ड लीजडीड (जो कि रीको व मैसर्स रूंगटा उद्योग जरिये प्रोपराईटर श्री संदीप रूंगटा के मध्य निष्पादित की गई थी) दिनांक 10.04.1998 तथा पंजीयन दिनांक 20.05.1998 आवंटी से कहीं गुम हो गई है, जिसके सम्बंध में आवंटी द्वारा 500 रू./ के स्टाम्प पर क्षतिपुर्ति बंधपत्र, उक्त गुमे हुये मूल दस्तावेज की कार्यालय उपपंजीयक कोटा द्वितीय द्वारा जारी सत्यापित छायाप्रति, शपथपत्र एवं उक्त गुमे हुये दस्तावेज के सम्बंध में गुमशुदगी रिपोर्ट संख्या एल.आर नम्बर 3069526/2026 दिनांक 27.02.2026 पेश की गई है। यदि उक्त दस्तावेज किसी भी वित्तीय संस्थान / व्यक्ति के पास बंधक / मौजूद हो तो इसकी लिखित में सूचना मय दस्तावेजी साक्ष्य इस आम सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर देवें। यदि 30 दिवस के भीतर कोई आपत्ति या सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इस कार्यालय द्वारा उद्यमी श्री संदीप रूंगटा के आवेदन पर विचार कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कृपया विदित रहे कि दी गई मियाद निकलने के पश्चात् प्राप्त हुई किसी भी शिकायत / आपत्ति पर कोई गौर नहीं फरमाया जायेगा।

वरिष्ट महा प्रबंधक

Date : 09.03.2026 Rajkaj Ref No.: 20947350 **विरेन्द्र कुमार विजय**

राशन वितरण में लापरवाही से भड़का आक्रोश

कोटा, (निसं)। महावीर नगर विस्तार योजना क्षेत्र में स्थित राशन की दुकान पर पिछले तीन दिनों से राशन वितरण में लगातार लापरवाही के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन डीलर द्वारा प्रतिदिन सुबह 11 बजे ही दुकान बंद कर देने तथा सर्वर डाउन का बहाना बनाकर लोगों को राशन नहीं देने से क्षेत्रवासियों में भारी रोष देखने को मिला।

इसी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग राशन की दुकान के बाहर आक्रोशित होकर एकत्रित हो गए।

■ **कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को चेताया**

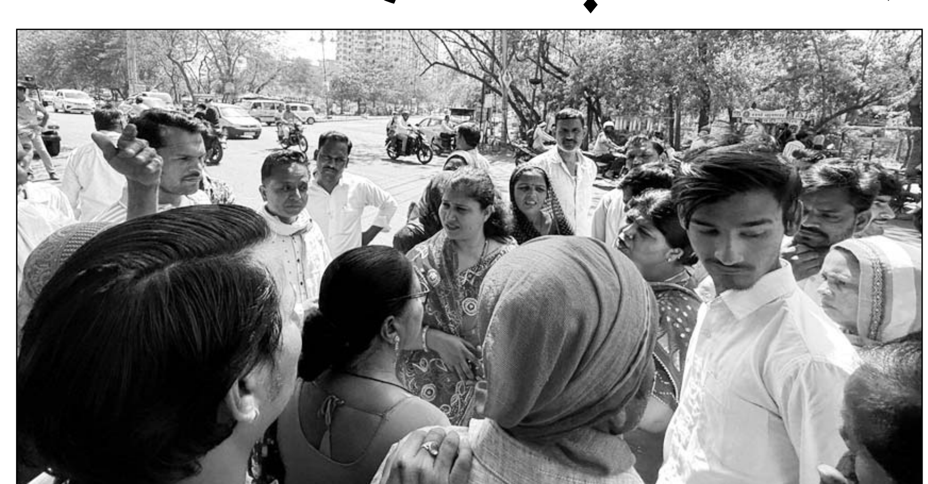

कोटा में राशन वितरण अव्यवस्था पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई।

सूचना मिलने पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राखी गौतम एवं महिला कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम मौके पर पहुंचीं। उन्होंने वहां मौजूद क्षेत्रवासियों से बातचीत कर उनके आक्रोश को शांत किया तथा संबंधित अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर समस्या के तत्काल समाधान की मांग की। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि वे अपने रोजमर्रा के कार्य छोड़कर घंटों राशन लेने के लिए दुकान के बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन सर्वर डाउन का हवाला देकर उन्हें बार-बार वापस भेज दिया जाता है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

इस मौके पर राखी गौतम ने कहा कि आमजन को उनके हक का राशन समय पर मिलना चाहिए। राशन वितरण में इस प्रकार की लापरवाही और बहानेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए और यदि भविष्य में इस प्रकार की समस्या सामने आई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आमजन के साथ मिलकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके अधिकार से वंचित करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप कर आमजन को राहत दिलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आमजन के साथ खड़ी रहेंगी और उनके हक के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगी। इस दौरान क्षेत्र के कई स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/881 दिनांक : 11.3.2026

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखण्ड संख्या-201 केशवपुरा-6 योजना का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 357 दिनांक 07.11.1986 द्वारा श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह को आंयटित किया गया था। श्री प्रहलाद सिंह के द्वारा श्री हरिनारायण सोनी पुत्र श्री बालचन्द सोनी को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2006 को श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहनलाल को कर दिया गया। क्रेता श्री महेन्द्र कुमार के द्वारा श्री टीकम चन्द चित्तोडा पुत्र श्री गोरधन लाल चित्तौडा को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 27.05. 2008 को श्रीमती समीक्ष कुलक्षेष्ठ पत्नि श्री नीरज कुलक्षेष्ठ एवं श्रीमती सुधा कुलक्षेष्ठ पत्नि श्री प्रमोद कुमार कुलक्षेष्ठ को कर दिया गया। क्रेता श्रीमती सुधा कुलक्षेष्ठ पत्नि श्री प्रमोद कुमार कुलक्षेष्ठ कि मृत्यु दिनांक 12.11. 2013 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्रीमती सुधा कुलक्षेष्ठ के विधिक वारिसान के द्वारा श्रीमती समीक्ष कुलक्षेष्ठ पत्नि श्री नीरज कुलक्षेष्ठ के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्रीमती समीक्ष कुलक्षेष्ठ पत्नि श्री नीरज कुलक्षेष्ठ के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।अपने नाम उक्त भूखण्ड का नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखण्ड संख्या-201 केशवपुरा 6 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती समीक्ष कुलक्षेष्ठ पत्नि श्री नीरज कुलक्षेष्ठ के नाम कर दिया जावेगा। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/ विक्रय/2026/831 दिनांक : 10.03.2026

नाम हस्तातंरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 58 कॉर्नर श्रीनाथपुरम-ई व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 09.01.2023 को श्रीमती किरण शर्मा पत्नी श्री चेतन प्रकाश शर्मा के नाम आवंटन किया गया था। श्रीमती किरण शर्मा पत्नी श्री चेतन प्रकाश शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड़ का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती चेतना गुप्ता पत्नी श्री सचिन गर्ग द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2026 को श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड़ का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 58 कॉर्नर श्रीनाथपुरम-ई व्यावसायिक योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री रमेश चन्द्र शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**